

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]  
भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 22 जुलाई, 2017

शुद्धिपत्र

सा.का.वन. (अ).- भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.वन. 773(अ) तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 38/2017- सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 में, -

- (i) पृष्ठ 16 की पंक्ति 30 में "संपूर्ण सीमाशुल्क" के स्थान पर "उतने सीमाशुल्क से" पढ़ें ;
- (ii) पृष्ठ 16 की पंक्ति 31 में "संपूर्ण एकीकृत कर" के स्थान पर "उतने एकीकृत कर से" पढ़ें ।

[फा.सं.]

354/119/2017-टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)  
अवर सचिव, भारत सरकार